>

Title: Matter related to turnover taxes.

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। देश में करोड़ों व्यापारी परेशान हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में प्रोवीजन था कि जहां 40 लाख रुपए का ट्रंजेक्शन होता है वहां व्यापारियों को बहीखाता ऑडिट करवाना पड़ता है और ऑडिट के साथ इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना पड़ता है। इसके लिए जो लिमिट थी वह 1 अप्रैल, 1985 को तय की गई थी और आज 23 साल हो गए हैं लेकिन लिमिट वही है जो तय की गई थी। वर्ष 1985 में इनकम टैक्स का रिलेक्सेशन 15,000 रुपए था जो आज 1.50 लाख रुपए हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट की क्लॉज 48 में कैपिटल इनकम बढ़ाने के लिए प्राइज इन्डैक्स को बढ़ी हुई महंगाई के साथ जोड़ा जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज के लिए फाइनेंशियल लिमिट हर तीन साल में बढ़नी चाहिए। यह हमारा इकनॉमिकल स्टैंडर्ड है कि कोई भी लिमिट, जो आप तय करते हो वह तीन साल में बढ़नी चाहिए। [r91]

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह जो लिमिट है, यह कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आज करोड़ों लोग जो परेशान हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारी परेशान हैं, इससे उन लोगों को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Dr. Manoj, you can associate with Shrimati C. S. Sujatha. There are heavy damages due to torrential rains.